न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 155/2019

शोक सिंह उर्फ अशोक सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति रायसिख निवासी 4 बी पक्की तह. व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1. श्री बलराम सुथार अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. पैरोकार राज – – अप्रार्थी

– :: आदेश ::– दिनांक :–22.01.2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 2 सी बडी तहसील व श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/68 मु.नं. 16 की कुल 6.200 हैक. में से 0.885 हैक्टर नहरी कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक नाम अशोक सिंह तथा इसी नाम से उसका राशन कार्ड सं. 399321173650 बना हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग का फोटो युक्त पहचानय पत्र की नकल शामिल है। आधार कार्ड की फोटो कापी शामिल है। प्रार्थी को घर पर शोका सिंह के ना मसे पुकारा जाने के कारण प्रार्थी के नाम चक 2 सी बडी तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/68 मु.नं. 16 की 6.200 हैक्टर में से 0.885 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज करते समय अशोक सिंह के स्थान पर शोक सिंह दर्ज हो गया है। जमाबंदी की नकल शामिल है। प्रार्थी का सही नाम अशोक सिंह है। मगर घर में शोका सिंह भी पुकारने से उपरोक्त जमाबंदी में शौका सिंह दर्ज हो गया जबकि अशोक सिंह व शोका सिंह दो अलग अलग नहीं है बल्कि प्रार्थी एक ही है। साक्ष्य सबूत के तौर पर प्रार्थी द्वारा पंचायत 4 बी बडी का प्रमाण पत्र पेश किया। प्रार्थी को 2 सी बडी तहसील श्रीगंगानगर के संख्या 64/68 मु.नं. 16 की 6.200 हैक्टर में से 0.885 हैक्टर कृषि भूमि के सुधार के लिए जब प्रमाण पत्र पटवारी हल्का से प्राप्त किया तथा भूमि सुधार की कार्यवाही की तो प्रार्थी का अन्य रिकार्ड में दर्ज नाम मेल ना खाने के कारण प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में शौकासिंह उर्फ अशोकसिंह दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर को पेश किया जिस पर कहा गया कि सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही नाम सही किया जा सकेगा अर्थात शौकासिंह उर्फ अशोकसिंह दर्ज किया जा सकेगा। अतः यह आवेदन पत्र चक 2 सी बडी तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/68 की कृषि भूमि में अथवा जहां कहीं नाम शौकासिंह दर्ज हो गया है, उसके आगे अशोकसिंह दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है ।अतः यह

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

कर्मचारी माल की गलती के कारण अथवा अन्य किसी कारण वश प्रार्थी का नाम शौकासिंह दर्ज किया गया है। अतः चक 2 सी बडी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/68 मु.नं. 16 की 6.200 हैक्टर में से 0.885 हैक्टर कृषि भूमि शौकासिंह उर्फ अशोकसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह दर्ज करवाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार शोका सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह व अशोकसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त प्रकरण में नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी चक 2 सी बडी पटवार हक्ला पककी भू.अ. नि. क्षेत्र हिन्दुमलकोट खाता संख्या 89/64, जमाबंदी चक 2 सी बडी पटवार हक्ला पककी भू.अ. नि. क्षेत्र हिन्दुमलकोट खाता संख्या 64/68 ग्राम पंचायत 4 बी बडी पक्की पं. सं. श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 07.11.2020, आधार कार्ड अशोकसिंह, निर्वाचन पहचान पत्र अशोक सिंह, श्रमिक कार्ड अशोकसिंह की प्रतियां पेश की। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 सी बडी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/68 मु.नं. 16 की 6.200 हैक्टर में से 0.885 हैक्टर कृषि भूमि में अंकित शोकासिंह पुत्र लक्ष्मण को दुरूस्त कर उसके स्थान पर शोका सिंह उर्फ अशोक सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी को बुलाकर सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner